

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 26.03.2020

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज,
जोधपुर


विषय:- इन्टर्नशिप कर रहे 50 चिकित्सकों चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध कराने बाबत।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के निपटने के परिप्रेक्ष्य में आपके मेडिकल कॉलेज में इन्टर्नशिप कर रहे चिकित्सकों में से 50-50 चिकित्सकों की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर एवं पाली को सौंपकर आज ही इस विभाग को अवगत करावें।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
4. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, जोधपुर।
9. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोधपुर।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर/पाली।
12. निजी /रक्षित पत्रावली।


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव